

कार्यालय नगर परिषद चांदामेटा बुटरिया, तह. परासिया जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

Email- cmochandmetabutaria@mpurban.gov.in

Ph - 07161-220137

सूचना का अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (ख) के अन्तर्गत कार्यालय की अद्यतन जानकारी वर्ष-2016

क्र.	इस अधिनियम में	अद्यतन जानकारी
1.	अपने संगठन की विशिष्टियां कृत्य और कर्तव्य।	नगर पालिका परिषद चांदामेटा बुटरिया की विशिष्टियां कृत्य और कर्तव्य नगर पालिका अधिनियम में दिये गये प्रावधान अनुसार।
2.	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियों और कर्तव्य।	नगर पालिका अधिनियम में दिये गये प्रावधान अनुसार।
3.	विनिश्चय करने की प्रक्रिया के पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	नगर पालिका अधिनियम में दिये गये प्रावधान अनुसार।
4.	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित है।	विधि में दिये गये निर्देशों के अनुरूप कृत्यों का निर्वहन किया जा रहा है।
5.	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम विनियम अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख।	म.प्र. नगर पालिका कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा शर्त)नियम 1968 (धारा-95 के अंतर्गत)
6.	ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणधीन है प्रवर्गों का विवरण।	लेखापाल, केशबुक, कैशियर कैशबुक, नस्तियां, मापपुस्तिका, लॉग बुक, स्टॉक पंजी, आदि।
7.	किसी व्यवस्था की विशिष्टियों जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विधायमान है।	म0प्र0 नगर पालिका (अपील समिति तथा प्रक्रिया) नियम 1962 (धारा 307 व 310 के अन्तर्गत)
8.	ऐसे वार्डों परिषदों समितियों और अन्य निकायों के जिसमें दो या अधिक व्यक्ति है। जिनकी उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है। और इस बारे में कि क्या उन वार्डों परिषदों समितियों और अन्य निकायों का बैठक जनता के लिये खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी विवरण।	नगर पालिका (कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम 2005 तथाप प्रेसीडेंट एण्ड कौंसिल के काम-काज का संचालन तथा अधिकारियों की शक्तियों एवं कर्तव्य नियम।
9.	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका।	समय-समय पर शासन द्वारा दिये गये आदेशानुसार अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आदेश एवं निर्देश दिये जाते है।

10.	अपने प्रत्येक अधिकारियों और कर्मचारी द्वारा मासिक परिश्रमिक जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी लागू है। जो उसके विनियमों में यथाउपबंधित है।	समय-समय पर निर्धारित वेतनमान तथा महगाई भत्ता।
11.	सभी योजनाओं प्रस्तावित व्ययों और किये गये सवितरण पर रिपोर्टों की विशिष्टियों उपदिशित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।	वित्तीय वर्ष 2017 का बजट तैयार संयुक्त संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित किया गया है।
12.	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है।	सा0सु0 पे0 वृद्धावस्था पेंशन, बहु विकलांग पेंशन, मुख्य मंत्री कन्या अभिभावक योजना, विधवा पेंशन, प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की सूची वेबसाईड पर अपलोड है।
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं की विशिष्टियाँ।	भवन तथा भूमि दृष्टिहीन व्यक्तियों, परित्यगता महिला और मानसिक रूप से असमर्थ व्यक्तियों के स्वामित्व की हो समेकित कर से वार्षिक भाड़ा मूल्य 1200/- तक मुक्त रहेगी (धारा 127 क उपधारा 2(एच) में रियायत दी गई।
14	किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उसके उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित है।	इस निकाय की वेबसाईड http://www.nagarparishadchandameta.com है। जो चालू है।
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधा की विशिष्टियाँ जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो कार्यक्रम घंटे सम्मिलित है।	एकल खिडकी स्थापित है। तथा नगर पालिका की वेबसाईड चालू है। जिसमें परिषद के निर्णय आदि अपलोड है।
16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम अन्य विशिष्टियाँ।	श्री आर.के.शर्मा – लोक सूचना अधिकारी श्री विनोद मिश्रा सहायक लोक सूचना अधिकारी।
17	ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाये।	—

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद चांदापेटा बुटरिया
जिला छिन्दवाड़ा